भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1794

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

जीडीपी और रोजगार दर बढ़ाने की योजना

1794. श्री राजेश रंजन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 14.97 प्रतिशत था जबकि मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 14.27 प्रतिशत था और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार की विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार दर में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2013-14 में 16.83 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर (पहला संशोधित अनुमान) 2023-24 में 28.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है । स्थिर मूल्यों पर समग्र जीवीए में विनिर्माण जीवीए की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 17.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 17.5% हो गई।

समग्र उत्पादन और रोजगार में विनिर्माण के योगदान को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, निवेश में वृद्धि और एक मजबूत श्रम बाजार को प्राथमिकता देते

हुए कई उपाय किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विनिर्माण समावेशी वृद्धि और आर्थिक विकास का प्रमुख परिचालक बने। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई है। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में लागू किया गया है। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए, 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी संवर्धन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें मोबाइल और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, सफेद सामान (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, और ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। इन योजनाओं में उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने, विनिर्माण आउटपुट में वृद्धि करने और भविष्य में तेज आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्लॉट स्तर पर 'प्लग एंड प्ले' बुनियादी ढांचा प्रदान करके नए और बढ़ते कार्यबल के लिए बेहतर जीवन और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना और उद्योगों के लिए गुणवत्ता, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा प्रदान करके देश में विनिर्माण निवेश को सुविधाजनक बनाना है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जीआईएस सक्षम भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति सुधार, मल्टी-मॉडल बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए सहयोग, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल और सेवा कर की शुरूआत, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) आदि शामिल हैं।

*****